के खाता संख्या 223 में गमेरी पत्नी नाना दर्ज रेकार्ड है जबकि खाता संख्या 262, 263 एवं 264 में गमेरी पत्नी देवा दर्ज कर दिया गया है जिससे कि राजस्व रेकार्ड में भी नाता के नाम से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 के तहत खाता संख्या 262, 263 व 264 में गमेरी पत्नी नाना दर्ज करने हेतु पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विपक्षी अधिकारी तहसीलदार डूंगला को तलब कर तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/244 दिनांक 1.7.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मौजा सिलौदा के खाता संख्या 223 में वर्णित आराजियात में दर्ज गमेरी पत्नी नाना दर्ज है जो सही है। खाता संख्या 262, 263, 264 में वर्तमान समय में दर्ज गमेरी पत्नी देवा दर्ज हो रखा है जो गलत है। तीनों ही खातों में गमेरी पत्नी नाना दर्ज करने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मौजा सिलौदा के खाता संख्या 223 में गमेरी पत्नी नाना दर्ज है तथा खाता संख्या 262, 263 व 264 में गमेरी पत्नी देवा दर्ज रेकार्ड है। जबकि प्रार्थीया के मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में गमेरी पत्नी नाना अंकित है। खाता संख्या 262, 263 व 264 में प्रार्थीया का नाम गमेरी पत्नी देवा गलत से दर्ज हुआ है जिसके राजस्व एवं अन्य दस्तावेजों में एकरूपता नहीं होने के कारण प्रार्थीया को सरकारी योजनाओं आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थीया के खाता संख्या 262, 263 व 264 में गमेरी पत्नी नाना दर्ज किया जाना उचित पाया जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया [illegible] तथा मौजा सिलौदा के खाता संख्या 262, 263 व 264 [illegible] शुद्ध करने आदेश जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रेकार्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.11.05 12:56:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner